

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.10.2022**

**परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजी:-**

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की अध्यक्षता में परामर्शदाताओं ने बिछुड़े जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझाबुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

**परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-**

नि0 शेषमणि पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना पूनम यादव, श्री गंगाधर शुक्ल, श्री संतोष ओझा, श्री राज मंगल मौर्य, श्रीमती साक्षी अरोरा मा0आरक्षी रोशन आरा आदि मौजूद रहे।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.10.2022**

**जमीन हथियाने के उद्देश्य से मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जमीनी विवाद में मारपीट करने के वांछित अभियुक्त- सुखराम को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 01.07.2022 को अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी अजय कुमार मिश्र पुत्र रामकेवाल मिश्रा नि० गढ़ी बोरिहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के भाई रोहित कुमार मिश्रा को जमीनी विवाद के चक्कर में गाली-गुप्ता मारा-पीटा था तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सुखराम पुत्र सोमई नि० गढ़ी बोरिहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-284/22, धारा 327,323, 324,504,506,427 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ०नि० सोमप्रताप सिंह मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.10.2022**

**सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

कल दिनांक 28.10.2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर रामतीर्थ मिश्र स्मारक महाविद्यालय के पास सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल करने के आरोपी अभियुक्त सत्यम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त आजाद शुक्ला के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध इटियाथोक पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. सत्यम जायसवाल पुत्र पाटनदीन जयसवाल निवासी इटियाथोक थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-441/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता-**

01. उ0नि सौरभ वर्मा मय टीमा।

dk; kly; ifyl v/kh{k d tuin xks Mk fnukad 30-10-2022

'kkfrHkx dh vk' kadk ds eíutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 okj\h vfhk; ä fxj rkrj &

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर नगर पुलिस ने 02 व थाना धानेपुर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

voŸk 'kjk ds fu"d"kz.k] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk; bkgh&

01- Fkkuk dVjkcktkj }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. रामलखन पुत्र, भगौती नि० बाबा बगिया मौजा बैरमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-446/22, 02. अंगद सिंह पुत्र ननकू सिंह नि० दौलतपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-447/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk dk0 ngkr }kjk dh x; h dk; Dkkgh&

01. मन्ना देवी पत्नी मोनू सोनकर नि० खम्हरिया हरिवंश थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-513/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**प्रेसनोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.10.2022**

**अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (UK, US) में करोड़ों में नशीली दवाओं के कारोबार (Online Drug Trafficking) करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का खुलासा-**

मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा जनपद समस्त क्षेत्राधिकारीगण/ समस्त थाना प्रभारियों व साइबर / सर्विलांस सेल को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा के निर्देशन में अभियान चलाकर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में जनपदीय साइबर/सर्विलांस सेल व कोतवाली नगर पुलिस को नशीली गोण्डा के अन्तर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर गोण्डा लखनऊ रोड स्थित महिन्द्रा एजेन्सी के पास दिनांक 30.10.2022 को रात्रि करीब 12.30 बजे हुण्डई वरना कार से अब्दुल हादी, अब्दुल बारी, विशाल श्रीवास्तव को नशीली गोण्डा के लैपटॉप व मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार करते गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब्दुल हादी के पास से नशीली गोण्डा का जखीरा बरामद हुआ जिसे उसके द्वारा बतौर सैम्पल अपने पास रखकर उनकी फोटो अपने ग्राहकों को भेजता था। अब्दुल हादी के पकड़े जाने से नशीली गोण्डा के अन्तर्राष्ट्रीय साइबर रैकेट की कार्य प्रणाली व अन्य कई जानकारी प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा के निर्देशानुसार अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रयास किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01- मु0अ0सं0 768/2022 धारा 419,420 IPC व 66 IT एक्ट व 12/24 NDPS Act व धारा 8/21 NDPS Act थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. अब्दुल हादी पुत्र अब्दुल मोईज उम्र 30 वर्ष निवासी खान कॉलोनी निकट जिगर इण्टर कॉलेज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
2. अब्दुल बारी पुत्र अब्दुल मोईज उम्र 24 वर्ष निवासी खान कॉलोनी निकट जिगर इण्टर कॉलेज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
3. विशाल श्रीवास्तव पुत्र ओमदेव श्रीवास्तव उम्र करीब 19 वर्ष निवासी रिसिहा पुरवा विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ

**बरामदगी:-**

01. प्रतिबंधित नशीली दवा अल्प्रोसेफ 54 पत्ता (540 टैबलेट), 02. एक अदद लैपटाप, 03. चार अदद एंड्राइड मोबाइल, 04. 01 अदद हार्ड डिस्क, 05. 04 अदद ए0टी0एम0 कार्ड, 06. 01 अदद पैन कार्ड, 07. 01 अदद आधार कार्ड, 08. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस; 09. 02 अदद मेडिकल विजिटिंग कार्ड, 10. 02 अदद वोटर आई0डी0 कार्ड, 11. एक अदद सफेद कार नं0 UP 32 DN 9087 हुंडई वर्ना, 12. एक अदद लेदर पर्स, 13. जामा तलाशी के 3800 रूपया नगद

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:-**

महिन्द्रा एजेन्सी के सामने लखनऊ रोड पर सड़क के किनारे खाली स्थान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, दिनांक 30.10.2022 समय 04.30 AM

**अपराध करने का तरीका:-**

गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल हादी द्वारा अमेरिका व यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के बिक्री हेतु Skype App पर अपना अकाउंट बनाकर ड्रग्स बायर और पिल्स प्रोवाइडर से सम्पर्क कर यह ऑनलाइन साइबर क्राइम प्रारम्भ किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा एक वर्ष में ही लगभग 05 करोड़ रूपये का प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री आनलाइन तरीके से किया गया और करीब 02 करोड़ रूपये का लाभ प्राप्त किया गया। अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न ऐप्स से वर्चुअल नम्बर क्रिएट कर अपने मूल पहचान को छिपाते हुए उन वर्चुअल नम्बरों से व्हाट्सएप एकाउंट बनाकर व्हाइट पेज वेबसाइट से विदेशी कस्टमर्स का डेटा प्राप्त करते थे। प्राप्त डेटा के माध्यम से कस्टमर्स/प्रोवाइडर से चैट/बात कर मांग के अनुसार लोकल वेण्डर्स से कस्टमर को प्रतिबंधित नशीली गोण्डा की सप्लाई

वहाँ के स्थानीय वेण्डर्स से कराते थे। इस तरह से उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों में ऐसे विदेशी नागरिकों व लोकल वेण्डर्स जिनका प्रतिबंधित नशीली दवाओं का स्टॉक अमेरिका में उपलब्ध था उनका डाटाबेस तैयार कर लिया गया था और वे अभियुक्तगण के नियमित ग्राहक व विक्रेता बन गये थे जिससे प्रतिबंधित नशीली दवाओं का ऑनलाइन व्यापार व्यापक रूप से चल रहा था। विदेशी कस्टमर्स द्वारा अभियुक्तगणों को PayPal, MoneyGram, Western Union एवं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भारत में स्थित अभियुक्तगण के खातों में करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **गिरफ्तारकर्ता टीम:-**

- 01- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर राकेश कुमार सिंह मय टीम
- 02- निरीक्षक संतोष कुमार सिंह मय टीम साइबर/सर्विलांस सेल गोण्डा